

राजस्थान सरकार
सार्वजनिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

58

क्रमांक एच.११(अ) आर.एन.डी./सा.न्या.अ.वि./००/११३५-६० जयपुर, दिनांक २५/३/६९

सशस्त्र जिता क्लबटर

विषय- अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को जाति प्रमाण-पत्र जारी करने के बारे में स्पष्टीकरण।

महोदय,

राज्य सरकार के ध्यान में ऐसे अनेक प्रकरण लाये गये हैं, जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण-पत्र संबंधित प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा विधियों की धारा में रकबा जरो नहीं किये जाते हैं। परिणामस्वरूप अनेक वैधानिक जटिलताएँ उत्पन्न हो जाती हैं।

विभाग के समस्तकक पत्रक २२४२२-४६ दिनांक १.१.९०, ४३६६-६३६ दिनांक १३.११.२००० एवं ०४६४-६३ दिनांक २१.१०.०४ द्वारा भी आपको जाति प्रमाण-पत्र जारी करने एवं जाति प्रमाण-पत्रों का अन्वयन संबंधी अनुदेश निजवाते भये थे। तत्परचात भी कतिपय मामलों में उन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जब आपको कुछ उन्हा पत्रों की प्रतियाँ भेजकर अनुदेश किया जाता है कि आप प्राधिकृत अधिकारियों को अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण-पत्र जारी करने से पूर्व राजस्व विभाग, अन्य अभिलेख एवं मीके की आवश्यक एवं विवरणमयीय जांच करने के पश्चात् ही अनुसूचित जाति/जनजाति के जाति प्रमाण-पत्र जारी करने के निर्देश प्रदान करें। प्राधिकृत अधिकारी आवेदक की जाति से पूर्व रूप से संतुष्ट होने पर ही जाति प्रमाण-पत्र जारी करें।

सुलग संदर्भ अनुसूचित जाति व जनजाति की वर्तमान प्रभावी सूची संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। जाति प्रमाण-पत्र जारी करने से पूर्व जरीकर्ता प्राधिकारी से प्राधिकृत अधिकारी की रिपोर्ट एवं उन्हा सूची का भी अनुचित अध्ययन कर उन्हा के स्तर पर संतुष्ट हो लें। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों आवेदन (संशोधन) अधिनियम १९७६ के बाद राज्य में जातियों की सूची में किसी प्रकार का परिवर्तन (change) नहीं हुआ है।

सहायक-उपसंचालक

भवदीय

(Signature)
शासन सचिव

400/2002/114/40